The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1993, Shri Vishwasrao Ramrao Patil not here.

Now we will take up the Bill for discussion that has been brought by Shri John F. Fernandes.

The Constitution (Amendment) Bill, 1990 (To Amend Article 51A)—

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Sir, I am very greatful to you for according me an occasion to start the discussion on this Bill brought by Shri Fernandes. The time has come to consider whether an over all change is necessary in regard to our Constitution. Our Constitution is a written one. Hence it is a rigid one. Our founding fathers who had framed it were very great. We have to salute them for the greatest wisdom accorded to us. But anyhow, the human capability is always limited. So there might have been, here and there, some defects. At this time when the country is passing through a sad and bad crisis, it is for us this august body, to consider this aspect, whether an overall change or a consideration for a change is necessary or not. I would like to recommend that a body like the Constituent Assembly may be formed to consider this aspect. Mr. Fernandes has given a thought to that and brought this important Bill. Nowadays we are talking too much of our rights. We are fighting for our rights and we are safely forgetting our obligations and duties. when we talk about somebody's rights, he becomes happy but when we talk about his duties and point out that he has to discharge his duties, he becomes uphappy because he feels that duties are some sort of a burden on him. So we vociferously shout for our rights but whenever the question of duties comes, we become silent. That has to be changed. Every individual citizen of this country is vested with sovereign power. Each one of us living in this country is the king of this country. So the king has to discharge his duties. The king has to transfer his power to the Ministers. So when he transfers his powers, he should exercise his right by discharging his duty. What is his duty? How can he discharge his duty? He is transferring his power, sovereign power, to the Executive only through exercising the franchise vested with him. Sir, vote is a very sacred one, it is a very powerful one. But nobody knows the power, nobody knows the sanctity attributed to that franchise. So there is corruption. This corruption is rampant because people want to exploit the ignorant and innocent citizens.

In order to remove all the ills or most of the ills relating to the presentday electioneering, the best course is to make the exercise of franchise a compulsory one. Everybody, every individual citizen. should discharge his duty at the time of elections. So, I welcome this Bill and I support this Bill and I want the Government to take into consideration this and see that this Bill is passed.

Sir, in this connection, I want to bring to the notice of this august House some other perennial evils relating to electioneering. For instance, we all know, we are all aware of, the fact that there is a ceiling on election expenses of each and every candidate. When we submit the accounts it is accompanied by a certificate. Those contesting in the elections given a certificate. What is that certificate? Whatever is given by him in the accounts-sheet is quite correct and he certifies that it is absolutely correct. I don't want to say that all of us are issuing false certificates. But we know what is going on practically. We know how far this law, this rule, is practicable and how far this ceiling is followed by each and every candidate. I think it is neither an insult to democracy nor an injustice

to democracy if I say most of us violate this provision. When we violate this provision enmasse, why should we have such a ceiling? Why should we have such a provision? Either you scrap such a provision? Either you scrap it or you see to it that everybody abides by it very strictly.

Between these two, why should we vacillate and oscillate? Here is our Law Minister. I want to make this plea to him. Sir, you know the facts. When you know the facts, if you are truthful to the facts, what is the use of this provision? So, if there is a necessity for amending the Constitution for this purpose let us amend the Constitution. I hope the Law Minister will take this into consideration and bring this to the notice of the Cabinet and bring a legislation for wiping off this from the constitutional provisions of the egal provisions.

Sir, again when complusion is not there, what happens? In order to woo the voters, in order to bring the voters to the booth, the canidate has to spend enormously. A vast, a huge, amount is spent only for this. So, a major part of his expenditure could be slashed if this provision is made.

Sir, here are some other evil also. They should also be taken into account and we should eliminate all of them. When we impose his provision, there may be some troubles. One may raise this question: If one is invalid, if one is indisposed, if one is not present at the place of voting, what can we do? How can we compel him to exercise his franchise? It is a very good question. Every rule is having an exception. There is no law where there is no exception. No law is proper unless it is followed by some exception. Though there is a strict law, we, Members of Parliament, enjoy some privileges. Similarly, there should be some exception to this provision.

If a person cannot come to the booth, or cannot be brought to the booth, he may be exempted. If a person is staying far away from the place of voting and is not able to come or reach that place at the time of voting, he may be exempted. The legal department of the Government may give serious thought to this exemption and may insert some provision. Once again I wish to reiterate that this amendment is very essential and important and it will create a landmark in the history of Indian democracy. Our democracy is stil in its infancy. It has not yet attained maturity. So, it is no sign and there is nothing wrong if we make an amendment on such an impor[illegible] vital [illegible] think, the whole [illegible] are my opinion and wil support the Bill of Shri John F. Fernandes whose name will be long remembered in the history of Indian democracy.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय श्री जान एफ० फर्नांडिस द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । उपसभाध्यक्ष जी, व्यक्ति के सही जीवन के संचालन के लिये दो पहिये होते हैं, व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति के कर्त्तव्य । यदि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अधिकार प्राप्त हो जाय और व्यक्ति अपने मानवीय दायित्व का सही निर्वाह करे तो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आये बिना नहीं रह सकती । और व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह से बनता है राष्ट्र । हमने पिछले सैकड़ों वर्षों में यह पढ़ा, देखा, अनुभव किया कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आंदोलन किये प्रदर्शन किये, लेकिन कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिये उन्होंने हमेशा उदासीनता बरती और यही कारण है कि यह सोने की...माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सदन में शोर बहुत हो रहा है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शांति के लिये निर्देशित करें ।

Sir, I request you to kindly direct the House to maintain peace in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gautam, please continue.

श्री संघ प्रिय गौतम : तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे घमंड है कि मेरा भारत देश सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, भूगर्भ शास्त्र और खनिजों की दृष्टि से, मौसम और जलवायु की दृष्टि से, आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का प्राचीनतम और अग्रणीय देश रहा है लेकिन इस देश के समाज ने और इस देश के समाज के रहबरों ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई तो लड़ी लेकिन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया । कर्तव्यों के निर्वाह के अभाव से यह सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश निर्धन हो गया, यह पिछड़ा हो गया, इस देश की सीमायें संकुचित हो गयीं, यह देश चंद हमलावरों के सामने झुक गया, लुट गया, पिट गया, कट गया, बरबाद हो गया और आज भी इस देश की सीमायें खतरें में हैं । आज इस देश के नागरिक, बहुसंख्यक नागरिक व्यक्तिगत अधिकारों की बात रोजाना की जिंदगी में करते हैं... लेकिन बहुत कम नागरिक ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं । आज भी इस देश में रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय, सम्मान और बराबरी के लिए बहुत संख्या में लोग तरस रहे हैं । लेकिन इस देश के चंद लोग इन बातों का अपने हाथों में संकुचन कर के उन लोगों की तरफ मानवीय निगाह उठा कर के नहीं देख रहे हैं और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं । मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करना चाहूंगा लेकिन यह कहना चाहूंगा कि हमने अपने संविधान को स्वीकार किया है और हमने एक दृढ़ संकल्प किया, संविधान की मूल प्रस्तावना में हमने दृढ़ संकल्प किया । वह संकल्प यह है कि हम भारत के लोग समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोक-तन्त्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और सम्मान की समता प्राप्त करने के लिए इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं कौन ? हम भारत के संभी लोग । यह हमारा दायित्व है । यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे विशाल देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले । हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले । हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति समान रहे, कोई असमान न रहे । यह हमारा दायित्व है । लेकिन क्या यह दायित्व केवल कहने से ही प्राप्त हो जाएगा । इस दायित्व का निर्वाह, जो हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है इसकी अभिव्यक्ति कैसे परिलक्षित होती है हमारे देश के नागरिकों की भावना परिलक्षित होती है लोकतंत्र में चुनी हुई संस्थाओं द्वारा चाहे वह स्थानीय निकाय हो, राज्य विधान मण्डल हो या भारत की संसद् हो । विचारों की अभिव्यक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होती है और चुनी हुई संस्थाओं के द्वारा होती है । यदि कुछ संस्थाएं इस देश में ऐसी हैं जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में सन्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती हैं तो क्या यह इस देश के नागरिकों का कर्तव्य नहीं है कि वे उनको सत्ता में लाएं, उनको चुनाव में जिता कर के सत्ता हासिल करवाएं ? जब यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तो चुनाव जिताने के लिए मतदान आवश्यक है । वोट देना आवश्यक है । ठीक इसी तरह से हमारे बहुत से भाई रोजाना बात करते हैं सम्प्रदाय, धर्मवाद की और बहुत से लोग इस देश की एकता और अखण्डता को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनके खिलाफ मतदान करना आवश्यक नहीं है ? आवश्यक है । आप ऐसे लोगों को जो देश की एकता, अखण्डता को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं या देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में सन्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालना चाहते हैं उनको केवल मतदान द्वारा ही सत्ता में आने से रोक सकते हैं । जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको आप केवल मतदान के द्वारा ही सत्ता में ला सकते हैं । इसलिए मतदान आवश्यक है । हमारे यहां जो सारे कर्तव्य भारत के संविधान की धारा 51(क) में बताए गए हैं, मुझे दुख है कि उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है कि यहां के नागरिकों को आवश्यक रूप से मतदान करना चाहिये या करना पड़ेगा । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, और

मैं दुख के साथ यह कहता हूं कि हमारे देश में मतदान गरीब आदमी ज्यादा करता है, देहात में रहने वाले अशिक्षित आदमी का प्रतिशत अधिक होता है लेकिन वह जज्बात में करता है । उस भावना में करता है। लेकिन शहर में रहने वाली जनता, धनी लोग, इस देश के तथाकथित ढोंगी संपन्न लोगों के मतदान का प्रतिशत कम होता है जबकि समाज की दिशा शिक्षित या सम्पन्न लोग ही निर्धारित कर सकते हैं। तो क्यों इनका मतदान कम होता है। फिर चिल्लाते हैं कि देश को दिशा सही नहीं मिली। शासक देश में सही नहीं आये, क्योंकि मतदान करना आवश्यक हो, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। उनके ऊपर इस प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। अगर मतदान करना आवश्यक कर दिया जाए, दायित्व में इसको प्राथमिकता देकर आवश्यक कर दिया जाए तो फिर इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, शिक्षित और सम्पन्न व्यक्ति मतदान करना चाहेंगे—मैं समाप्त करने जा रहा हूं—और वे इस देश की दिशा निर्देशन में सही भूमिका निभा सकेंगे।

मैं मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त ने इस विधेयक के अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में इस बात को कहा है कि यहां पर बहुत से लोग मतदान करने नहीं जाते लेकिन करने भी नहीं दिया जाता जिसको कहते हैं मसल पावर और मनी पावर, बूथ कैप्चरिंग के द्वारा मतदान रोका जाता है। अगर आवश्यक हो जाएगा मतदान करना तो फिर आदमी अपने दायित्व को इसी तरह से निभाएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कुचलने के लिए इस कांग्रेस की सरकार ने कल जो ड्रामा किया। चाहे सांसदों को पीटना पड़े, रोकना पड़े, डेमोक्रेसी का गला घोंटना पड़े लेकिन रैली नहीं होगी। तो इसी तरह से दायित्व को निभाने के लिए आदमी फिर हर संभव कदम उठायेगा और वह मतदान करने जाएगा चाहे अपनी सुरक्षा खुद करके या पुलिस से सुरक्षा मांगेगा या सरकार से सुरक्षा की गुहार करेगा और सरकार को भी मजबूर होकर मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था करनी होगी। जो माल प्रेक्टिसेज होती है उनको रोकना पड़ेगा।

मान्यवर, अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जहां पर इन कर्तव्यों का जिक्र किया गया है संविधान की धारा 51क में, सबसे पहली धारा है कि संविधान का पालन करें। इस धारा की उपधारा में सबसे पहले यह है कि संविधान का पालन करें। यह हमारा पहला कर्तव्य है और संविधान का पालन करने का मतलब पहले तो संविधान की मूल प्रस्तावना में सन्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति में सार्थक भूमिका निभाएं और जब सार्थक भूमिका निभानी है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों या संस्थानों को स्वशासित निकायों, राज्यों या संसद में बिठाये इसलिए संविधान का पालन करने के लिए और इस उपधारा को सार्थक बनाने के लिए इस उपधारा का होना आवश्यक है कि मतदान आवश्यक हो।

मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारे यहां पर एक बड़ी गलत प्रेक्टिस हो गयी है। हमारे यहां पर सरकार चाहे किसी दल की हो स्वयं तो वह इस तरह का कोई विधेयक या प्रस्ताव लाती नहीं है शायद अक्ल की कमी है या सलाहकारों ने ऐसी सलाह नहीं दी लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेम्बर सही विधेयक ले आये और सही सलाह दे तो इसमें ये अपनी लज्जा समझते हैं। ये समझते हैं कि अगर इसको स्वीकार कर लिया तो हमारी नाक कट जाएगी। देश के भले के लिए किसी भी बात को स्वीकार करने से नाक नहीं कटती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसे थोथी प्रतिष्ठा का विषय न बनाये कि यह प्राइवेट मेम्बर बिल है, इसलिए इसे स्वीकार न करें। देश की सही दिशा निर्धारित करने के लिए देश के बनाने में, निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान आवश्यक हो, इसका प्रावधान

संविधान में होना चाहिए और वह इस संशोधन के माध्यम से व्यक्ति के दायित्वों में इस दायित्व को सन्निहित करके ही हो सकता है। इस आग्रह के साथ मैं श्री फर्नान्डीज के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सैयद सिबते रजी (उत्तर प्रदेश) : वाईस चेयरमन साहिब, आज जो मेरे दोस्त ने यहां पर संविधान के संबंध में संशोधन के लिए बिल रखा है, आज से चार-पांच साल पहले अगर देखा जाए, तो शायद इस बिल की बहुत ज्यादा या इस संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर जो हो रहा है, उसको देखते हुए आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि संविधान की धारा के अंदर संशोधन किया जाए और वोट देने के अधिकार को कर्तव्य में परिवर्तित किया जाए, बदला जाए। तभी यह संभव हो पायेगा कि वह फासिस्टवादी ताकतें जो भीड़ का सहारा लेकर संविधान को, संसद को और संविधान द्वारा जो मूल अधिकार इस देश के नागरिक को दिये गये हैं, उनको छीन लना चाहता है।

ऐसी ताकतों का मुकाबला जब तक देश के बुद्धिजीवी, पढ़े-लिखे लोग और वह लोग जिनके कंधों के ऊपर देश का नेतृत्व देने और देश की कयादत देने का फर्ज आता है, वही इस बढ़ती हुई अंध-विश्वास और धार्मिक उदंडता की जो प्रक्रिया इस देश में चली है, उसको शायद रोक सके।

पिछले जितने भी चुनाव हैं, यदि उसकी प्रतिशत निकाली जाए और अगर चुनाव में लम्बी-लम्बी जो कतारें रहती हैं, उन पर नजर डाली जाए, तो देखने में यह आया है कि वे लोग जो समाज के बड़े कमजोर वर्ग से आते हैं, लोग जो गरीब हैं, निर्धन हैं, वही ज्यादातर चुनाव की इन बड़ी-बड़ी लम्बी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र की हमारी कुप्रथायें हैं, या लोकतंत्र के जरिए जो इविल्स समाज में आ गये हैं, उन पर कटाक्ष बहुत करते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठ कर उन पर बहस-मुबाहसे बहुत करते हैं, लेकिन यह इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि उन बड़ी-बड़ी लम्बी कतारों में जाकर थोड़ा समय दे सकें उस प्रक्रिया के लिए जो देश को गवर्न करने के लिए या देश को चलाने के लिए बनाई गई है।

आज इसको जरूरी बनाना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि एक वर्ग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के बीच एक द्वेष और एक बेजारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सत्ता का दुरुपयोग भी कहीं-कहीं देखा जाता है और इसी के साथ-साथ शक्ति और ताकत का इस्तेमाल भी चुनाव के दर्म्यान देखने में आता है। ऐसी सूरत में यदि समाज का हर वर्ग जो बालिग है और उसको मत देने का, वोट देने का अधिकार मिलना है, उस अधिकार का वह यकीनी तौर पर इस्तेमाल करे, तो ही शायद हो उसके कि यह चीजें रोकी जा सकें।

कभी-कभी यह देखा जाता है कि बहुत से लोग वोट डालने जाते नहीं और उन वोटों का प्रयोग जो है, वह किसी खास व्यक्ति के हक में करा हुआ दिखा दिया जाता है। यदि इस तरह की चेतना जागेगी कि हर आदमी का यह कर्तव्य है कि वोट डालना उसके लिए जरूरी हैं, तो निश्चित रूप से जो मूल्यांकन है लोकतंत्र में किसी कैंडिकेट के बारे में, किसी नुमाइंदे के बारे में, किसी उम्मीदवार के बारे में, वह ज्यादा सही बन सकेगा।

आज जिन चीजों को खतरा है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमें संविधान ने दिये हुये हैं, आज हमारी समता को खतरा है, हमारे स्वातंत्र्य अधिकार जो हैं, उनको खतरा है और

शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आवाज उठाने के लिए दिये गये हैं, उनको खतरा है।

और जो धर्म की स्वतंत्रता है, जो अपने विश्वास के हिसाब से लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का और अपनी इबादत करने का या पूजा करने का अधिकार है अपने तरीके से, उन सब चीजों को खतरा खड़ा हो गया है। आज खतरा है हमारी मिली-जुली संस्कृति को, आज खतरा है हमारे इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा का, अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का, उन सब चीजों को खतरा खड़ा हो गया है, ऐसी सूरत में जबकि संविधान को मूल रूप से चुनौती दे दी गई है, उसकी रक्षा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम सब एक साथ आएं। बड़े और लोकतंत्र में 5 साल के बाद मौका मिलता है तो ऐसी शक्तियों को धाराशायी करने के लिए, शक्तियों को तोड़ने के लिए हम सब मिल कर आगे आएं तो संभव हो सकता है कि हम इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकें। जैसा मैंने अभी कहा कि आज जो समता के बारे में संविधान ने यह कोशिश की और जो सरकारें आईं उन्होंने हमारे शैड्यूल्ड कास्ट भाइयों को, हमारे उन भाइयों को जो कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए, उन्हें वोट के अधिकार के साथ-साथ बराबरी का अधिकार दिया। उन्हें उन तमाम अधिकारों के साथ-साथ भेद-भाव रहित समाज में रहने का अधिकार दिया। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी आ करके खड़ी हो गई हैं कि समता के अधिकार को भी चुनौती दे दी गई है। आज लोग इस संविधान को हटाकर जो हमारी यह संसद् के दो सदन हैं जिन्हें हम राज्य सभा या लोक सभा कहते है, ये हमारे जो दो हाउसेज है उसके बारे में भी बहुत सारे भ्रम पैदा कर दिए गए हैं और कुछ फैसले ऐसी जगह किए गए हैं जिन्हें कहीं हम धर्म संसद् का नाम देते हैं या किसी मजहबी दायरे में बांध कर कुछ फैसले करते हैं। उन फैसलों में हमने कुछ ऐसी संविधान लाने की भी कोशिश की है कि जिसके अंदर जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जो हजारों साल पहले की व्यवस्थाएं हैं, जिनको तोड़ कर हमने आजादी हासिल की सब लोगों को मिलाकर ताकत हासिल की, तब कहीं जाकर हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को परास्त कर सके थे। आजादी के बाद हमारे जो कंस्टीटीयूशन फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने इसको एक मूल रूप दिया और इसको एक लिखित संविधान इसलिए बनाया कि हो सकता है कि इस देश के अंदर जो पुरानी परंपराएं हैं, जो खराब परंपराएं हैं, उन हमारी परंपराओं में बहुत सारी अच्छी परंपराएं भी हैं, लेकिन रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर यदि कोई तफरीक हो, यदि कोई भेद-भाव किया जाए तो यह संविधान उसको सुरक्षा करे और इस संविधान के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसको देख कर उसके हिसाब से ही कुछ फैसला किया जाए। अब कुछ लोग आज कहते हैं कि हम दोबारा वर्ण व्यवस्था ले आयेंगे। अब यह वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? यदि वही व्यवस्था जिसमें जो काम करता है वही करेगा, काम के आधार पर हम समाज को बांट देंगे, कुलीन और अच्छे वर्ग में हम लोगों को बांट देंगे, काम के आधार पर हम फिर दोबारा ऐसी व्यवस्था लायेंगे बड़ी मुश्किलों से हमने हिन्दुस्तान के अंदर एक ऐसा समाज बनाया है। इसमें काम के आधार पर कोई तफरीक नहीं है। यदि कोई एक छोटा काम करने वाला है तो उसे भी वोट का बराबर अधिकार दिया गया है। यदि कोई छोटा काम करने वाला है तो उसको यह नहीं है कि जिन्दगी भर उसका परिवार दर परिवार उसी छोटे काम के अंदर लगा रहेगा। वह किसी काम में भी जा सकता है। नए हिन्दुस्तान की तारीख यह बताती है कि आज पढ़ाने के क्षेत्र में आज हमारे शैड्यूल्ड कास्ट के भाई आ गए हैं। यह एक नया अध्याय इस देश के अंदर खुला है। जबकि पढ़ाने के क्षेत्र में एक खास वर्ग ही था। पूजा-पाठ के क्षेत्र में एक खास वर्ग ही था लड़ने के क्षेत्र में एक खास वर्ग ही था, कारोबार के क्षेत्र में एक खास वर्ग ही था

लेकिन नए संविधान ने हमें यह सुरक्षा दी कि कारोबार करने वाले भारतवर्ष के नागरिकों का अधिकार यह है कि उसका बेटा भी फौज में जाकर रणक्षेत्र में लड़ सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। इस चीज से हमारे देश के अंदर एक शक्ति मिली। आज इन शक्तियों जो हमारे सब जुटी हैं सरीजतियों की, सरीबिरदरियों की आपस में मिलकर उन चीजों को खतरा खड़ा हुआ है और इन चीजों का मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के हर नागरिक का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह आगे बढ़े और अपने दायित्व की सूरत में एक मौलिक उसका जो फर्ज है, कर्तव्य है, उसकी सूरत में वोट डालने आगे बढ़े। तब मैं समझता हूं कि ऐसी अंध-विश्वासी ताकतों को जो लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ना चाहती हैं, जो ताकत के आधार पर लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल देना चाहती हैं जो पोलिंग बूथ पर हिंसा करते हैं, जो पैसे का दुरुपयोग कर के सत्ता को हथियाना चाहते हैं, सत्ता के गलियारों में पहुंच जाना चाहते हैं, जो हिंसा का सहारा लेकर लोकतंत्र की मौलिक भावनाओं को तोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे साथी फर्नांडिस साहब ने जो यह अमेंडमेंट रखा है, यह बहुत ही सामयिक है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे सुझावों की ओर तवज्जो देनी चाहिए जिससे कि समाज के हर वर्ग का यह फर्ज बने कि वह आगे बढ़े और अपने वोट का इस्तेमाल करे। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि आज वह क्लास जोकि प्रिविलेज्ड क्लास है, वह क्लास जोकि भारत की आजादी के बाद बहुत कुछ हासिल कर चुका है, वह क्लास जोकि बुद्धिजीवि है, वह पूरी तरह से मुल्क को नेतृत्व नहीं दे रहा है हो सकता है कि वह दूसरी तरह से नेतृत्व देता हो, लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसके मताधिकार के प्रयोग का जो अधिकार है उसमें वह उतने उत्साह और जोश-खरोश से भाग नहीं लेता है जिस तरह से कि हमारे दूसरे वर्ग के लोग, हमारे गरीब लोग, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है वह भी आगे बढ़े, कंधे-से-कंधा मिलाकर जो हमारी आम जनता है, उसके साथ चले तो मैं समझता हूं कि यह चीज ज्यादा कारगर हो सकती है, यह चीज ज्यादा सफल हो सकती है और लोकतंत्र की शक्ति बढ़ सकती है क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति बढ़ने का मतलब है कि समाज के हर वर्ग को फायदा मिले, लाभ मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि यह फर्नांडिस साहब ने जो संशोधन रखा है, यह बड़ा सामयिक है और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

"सतभैया के दोहरे, अरुणाचल के तीन,
देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर।"

شری سید سبط رضی "اتر پردیش":
وائس چیرمین صاحب آج جو میرے دوست نے یہاں پر سمودھان کے سمبندھ میں سنشودھن کے لئے بل رکھا ہے آج سے چار پانچ سال پہلے اگر دیکھا جائے تو شاید اس بل کی بہت زیادہ یا اس سنشودھن کی بہت زیادہ آوشیکتا محسوس نہیں ہوتی تھی لیکن آج بھارتیہ راجنیتک رنگ منچ پر جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آوشیکتا اس بات کی پڑتی ہے کہ سمودھان کی دھارا کے اندر سنشودھن کیا جائے۔ اور ووٹ دینے کے ادھیکار کو کرتویہ میں پریورت کیا جائے۔ بدلا جائے۔ تبھی یہ سمبھو ہو پائے گا کہ وہ فاسسٹ وادی طاقتیں جو بھیڑ کا سہارا لے کر سمودھان کو سنسد کو اور سمودھان دوارا جو مول

آج اس کو ضروری بنانا اس لئے بھی آوشیک ہو جاتا ہے کہ ایک ورگ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر لوگوں کے بیچ ایک دوویش ایک بیزاری پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترنا کا دراپوگ بھی کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شکتی اور طاقت کا استعمال بھی چناؤ کے درمیان دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسی صورت میں یدی سماج کا ہر ورگ جو بالغ ہے اور اس کو مت دینے کا۔ ووٹ دینے کا ادھیکار ہتا ہے۔ اس ادھیکار کا وہ یقینی طور پر استعمال کرے تو ہی شاید ہم سکے کہ یہ چیزیں روکی جا سکیں۔

کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ووٹ ڈالنے جاتے نہیں اور ان ووٹوں کا پریوگ جو ہے وہ کسی خاص ویکتی کے حق میں کرا ہوا دکھا دیا جاتا ہے۔ یدی اس طرح کی چیستا جاگے گی کہ ہر آدمی کا یہ کرتویہ ہے کہ ووٹ ڈالنا اس کے لئے ضروری ہے تو نشچت روپ سے جو مولیانکن ہے لوک تنتر میں کسی کنڈیڈیٹ کے بارے میں کسی نمائندے کے بارے میں کسی امیدوار کے بارے میں وہ زیادہ صحیح بن سکے گا۔

آج جن چیزوں کو خطرہ ہے اس میں ہمارے سماج کا ادھیکار ہیں جو ہمیں سمودھان نے دیئے ہیں۔ آج ہماری سمتا کو خطرہ ہے۔ ہمارے سوا تنو یہ ادھیکار جو ہیں ان کو خطرہ ہے اور شوشن کے ورودھ جو ادھیکار آواز اٹھانے کیلئے دیئے گئے ہیں ادھیکار اس دیش کے ناگرک کو دیئے گئے ہیں اُن کو چھین لینا چاہتا ہے۔

ایسی طاقتوں کا مقابلہ جب تک دیش کے بدھی جیوی۔ پڑھے لکھے لوگ اور وہ جن کے کاندھوں کے اوپر دیش کا نیتر تو دینے اور دیش کی قیادت دینے کا فرض آتا ہے وہی اس بڑھتی ہوئی اندھ وشواس اور دھارمک اونڈتا کی جو پریکریا اس دیش میں چلی ہے اس کو شاید روک سکے۔

پچھلے جتنے بھی چناؤ ہیں۔ یدی اس کی پرتیشت نکالی جائے اور اگر چناؤ میں لمبی لمبی جو قطاریں رہتی ہیں اُن پر نظر ڈالی جائے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو سماج کے بڑھے کمزور ورگ سے آتے ہیں۔ وہ لوگ جو غریب ہیں۔ نردھن ہیں۔ وہی زیادہ تر چناؤ کی ان بڑی بڑی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جو لوک تنتر کی ہماری کوپرتھائیں ہیں یا لوک تنتر کے ذریعہ جو الیوس سماج میں آگئے ہیں۔ ان پر کٹاکش بہت کرتے ہیں۔ ڈرائینگ روم میں بیٹھ کر ان پر بحث و مباحثے بہت کرتے ہیں لیکن یہ اتنی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ ان بڑی بڑی لمبی قطاروں میں جا کر تھوڑا سمے دیں سکیں اس پریکریا کے لئے جو دیش کو گورن کرنے کے لئے یا دیش کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے

کوئی پہچان رہی ہے سمرتا کے ادھیکار کو بھی چنوتی دے دی گئی ہے۔ آج لوگ اس سمودھان کو ہٹا کر جو ہماری یہ سنسد کے دو سدن ہیں جنھیں ہم راجیہ سبھا یا لوک سبھا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو دھاؤ سیز ہیں اس کے بارے میں بھی بہت سارے بھرم پیدا کر دیئے گئے ہیں اور کچھ فیصلے ایسی جگہ کئے گئے ہیں، جنھیں ہم کہیں دھرم سنسد کا نام دیدیتے ہیں یا کسی مذہبی دائرہ میں باندھ کر کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ ان فیصلوں میں ہم نے کچھ ایسا سمودھان لانے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر جو ہماری پرانی ویوستھائیں ہیں جن کو توڑ کر ہم نے آزادی حاصل کی سب لوگوں کو ملا کر طاقت حاصل کی۔ تب کہیں جا کر ہم برٹش سامراجیہ واد کو پراجت کر سکے تھے۔ آزادی کے بعد ہمارے جو کانسٹی ٹیوشن کے فاؤنڈنگ فادرس تھے جنھوں نے اس کو ایک مول روپ دیا۔ اور اس کو ایک لکھت سمودھان اسی لئے بنایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دیش کے اندر جو پرانی پرمپرائیں ہیں۔ جو خراب پرمپرائیں ہیں۔ ان ہماری پرمپراؤں میں بہت ساری اچھی پرمپرائیں بھی ہیں۔ لیکن رنگ کے آدھار پر، نسل کے آدھار پر، دھرم کے آدھار پر۔ مذہب کے آدھار پر یدی کوئی تفریق ہو۔ یدی کوئی بھید بھاؤ ان کو خطرہ ہے اور جو دھرم کی سوتنترتا ہے۔ جو اپنے وشواس کے حساب سے لوگوں کو اپنی اچھیہ کتھا کرنے کا اور اپنی عبادت کرنے کا یا پوجا کرنے کا ادھیکار ہے اپنے طریقہ سے ان سب چیزوں کو خطرہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آج خطرہ ہے ہماری ملی جلی سنسکرتی کو آج خطرہ ہے ہمارے اس دیش کے اندر الپ سنکھیکوں کو جو شکشا کا۔ اپنی شکشا سنستھائیں چلانے کا ان سب چیزوں کا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ سمودھان کو مول روپ سے چنوتی دے دی گئی ہے۔ اس کی رکشا کے لئے یہ آوشیک ہو جاتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ آگے بڑھیں اور جب ایک ستر میں پانچ سال کے بعد موقع ملتا ہے تو ایسی شکتیوں کو دھراشائی کرنے کے لئے ایسی شکتیوں کو توڑنے کے لئے ہم سب مل کر آگے آئیں تو سمجھوتہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آج جو سمتا کے بارے میں سمودھان نے یہ کوشش کی اور جو پرکاریں آئیں انہوں نے ہمارے شیڈولڈ کاسٹ بھائیوں کو۔ ہمارے ان بھائیوں کو جو کمزور ورگ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بہت سارے ادھیکار دیئے۔ انہیں ووٹ کے ادھیکار کے ساتھ ساتھ برابری کا ادھیکار دیا۔ انہیں ان تمام ادھیکاروں کے ساتھ ساتھ بھید بھاؤ رہت سماج میں رہنے کا ادھیکار دیا آج پرستھیاں کچھ ایسی آ کر کے

اکشیتر میں ایک خاص ورگ ہی تھا۔ لیکن نئے سمودھان نے ہمیں یہ سرکشا دی کہ کاروبار کرنے والے بھارت ورش کے ناگرکوں کا ادھیکار یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی فوج میں جاکر دن اکشیتر میں لڑ سکتا ہے۔ دھرم کے آدھار پر کسی بھی بھید بھاؤ کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ اس چیز سے پورے دیش کے اندر ایک شکتی ملی۔ آج ان شکتیوں جو ہمارے سب جنتی ہیں ساری جاتیوں کی ساری برادریوں کی آپس میں مل کر ان چیزوں کو خطرہ کھڑا ہوا ہے اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ہر ناگرک کا یہ کرتویہ بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اپنا اپنے داییتو کی صورت میں ایک موقع اس کا تو فرض ہے۔ کرتویہ ہے۔ اس کی صورت میں ووٹ ڈالنے آگے بڑھے۔ تب میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اندھ وشواسی طاقتوں کو جو لوک تنتر کے بنیادی ڈھانچہ کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ جو طاقت کے آدھار پر لوک تنتر کو بھیڑ تنتر میں بدل دینا چاہتی ہیں۔ جو پولنگ بوتھ پر ہنسا کرتے ہیں۔ جو پیسے کا دروپیوگ کرکے ستا کو ہتھیانا چاہتے ہیں ستا کے گلیاروں میں پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ جو ہنسا کا سہارا لے کر لوک تنتر کی موثل بھاؤ ناؤں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی فرنانڈیس صاحب نے جو یہ امینڈمنٹ رکھا ہے۔ یہ بہت ہی

کیا جائے تو یہ سمودھان اس کی سرکشا کرے۔ اور اس سمودھان کے اندر جو پروویژنس دیئے ہوئے ہیں جو آرٹیکلس دیئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے حساب سے ہی کچھ فیصلہ کیا جائے۔ اب کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ورن ویوستھا لے آئیں گے۔ اب یہ ورنا ویوستھا کا مطلب کیا ہوا۔ یدی وہی ویوستھا جس میں جو کام کرتا ہے وہی کرے گا۔ کام کے آدھار پر ہم سماج کو بانٹ دیں گے۔ کلین اور اچھے وزن میں ہم لوگوں کو بانٹ دیں گے۔ کام کے آدھار پر ہم پھر دوبارہ ایسی ویوستھا لائیں گے بڑی مشکلوں سے ہم نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا سماج بنایا ہے۔ اس میں کام کے آدھار پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ یدی کوئی ایک چھوٹا کام کرنے والا ہے تو اسے بھی ووٹ کا برابر کا ادھیکار دیا گیا ہے۔ یدی کوئی چھوٹا کام کرنے والا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر اس کا پریوار در پریوار اسی چھوٹے کام کے اندر لگا رہے گا۔ وہ کسی کام میں بھی جا سکتا ہے۔ نئے ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج پڑھانے کے اکشیتر میں آج ہمارے شڈولڈ کاسٹ کے بھائی آگئے ہیں۔ یہ ایک نیا ادھیائے اس دیش کے اندر کھلا ہے۔ جبکہ پڑھانے کے اکشیتر میں ایک خاص ورگ ہی تھا۔ پوجا پاٹ کے اکشیتر میں ایک خاص ورگ ہی تھا۔ لڑنے کے اکشیتر میں ایک خاص ورگ ہی تھا۔ کاروبار کے

ہمارے پچھڑے ورگ کے لوگ لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پریویلیجڈ کلاس ہے وہ بھی آگے بڑھے۔ کندھے سے کندھا ملاکر جو ہماری عام جنتا ہے اس کے ساتھ چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز زیادہ کارگر ہو سکتی ہے۔ یہ چیز زیادہ سپھل ہو سکتی ہے۔ اور لوک تنتر کی شکتی بڑھ سکتی ہے۔ کیونکہ لوک تنتر کی شکتی بڑھنے کا مطلب ہے کہ سماج کے ہر ورگ کو فائدہ ملے۔ لابھ ملے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرنانڈیس صاحب نے جو سنشودھن رکھا ہے یہ بڑا سامیک ہے اور میں اس کا پورن روپ سے سمرتھن کرتا ہوں۔ دھنیہ واد آپ نے مجھے سمے دیا۔

"ختم شد"

سامیک ہے اور سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ایسے سجھاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے جس سے کہ سماج کے ہر ورگ کا یہ فرض بنے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔

اب سبھاادھیکش مہودے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ کلاس جو کہ پریویلیج کلاس ہے وہ کلاس جو کہ بھارت کی آزادی کے بعد بہت کچھ حاصل کر چکا ہے۔ وہ کلاس جو بدھی جیوی ہے۔ وہ پوری طرح سے ملک کو نیتر تو نہیں دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری طرح سے نیتر تو دیتا ہو۔ لیکن لوک تنتر کے اندر ووٹ دینے کا اس کے مت ادھیکار کے پریوگ کا جو ادھیکار ہے اس میں وہ اتنے اتساہ اور جوش و خروش سے بھاگ نہیں لیا ہے۔ جس طرح سے کہ ہمارے دوسرے ورگ کے لوگ۔ ہمارے غریب لوگ سر

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय जॉन फर्नांडिस साहब ने जो संविधान संशोधन विधेयक लाया है, यह बहुत ही सामयिक है । ठीक है, इस विधेयक की मंशा केवल संविधान की धारा-51(ए) में एक नई उपधारा (के) जोड़ने की है जिसके कि तहत इन्होंने कहा है कि

"To vote in the elections to Lok Sabha, State Assemblies and local bodies."

इसमें इनके विधेयक की मंशा है कि जो वोटर्स होंगे उनका यह फंडामेंटल राइट होगा और उनके लिए वोट देने की बाध्यता हो जाएगी । उनको वोट देना पड़ेगा । यह इतना ही है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हिंदी में एक कहावत है, शायद फर्नांडिस साहब उसको नहीं जानते होंगे क्योंकि वह गोवा के रहने वाले हैं, वह कहावत यह है कि---

"सतसइया के दोहरे, अरु नाविक के तीर,
देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन है, लेकिन अगर इस संशोधन को सरकार मान लेती है तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव होगा क्योंकि इसके साथ ही "पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट" को भी संशोधित करना पड़ेगा और संशोधित कर के उसमें जोड़ना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने की बाध्यता है । महोदय, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है । हमने डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतंत्र को अपनाया है और हम यह चाहते हैं कि इस देश में प्रत्येक नागरिक इस देश का मालिक हो, इस देश का वह भाग्य-विधाता हो और कागज के एक टुकड़े के जरिए

इस देश का शासन कैसा होगा, कौन हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, उनकी क्या दलीय नीति होगी, वह हम तय करें। महोदय, आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान में सन् 1952 से अब तक वोटिंग परसेंट क्या रहा है। जब प्रथम चुनाव हुए तब 45 प्रतिशत ही हुई है अर्थात् सौ में से 45 व्यक्तियों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इस तरह जो सरकार चुनकर आयी वह अल्पमत की सरकार थी। अगर सौ में से 51 आदमी भी उस दल को वोट देते तो वह बहुमत की सरकार कही जाती, लेकिन अल्पमत की सरकार केन्द्र में रही और वह शासन करती रही है। सन् 1957 में, दूसरे इलेक्शन में भी 47 प्रतिशत वोट पड़े और वह भी अल्पमत की सरकार आई क्योंकि दूसरे दल को भी इसमें वोट मिले। तृतीय चुनाव हुआ 1962 में, 55 प्रतिशत वोट पड़ा और उस समय भी अल्पमत की सरकार आई। उसके बाद 1971 में 55 प्रतिशत वोट पड़ तो उस समय भी अल्पमत की सरकार आई केन्द्र में और सरकार चलाती रही। 1977 में 60 प्रतिशत वोट पड़े, हिन्दुस्तान के नागरिक तो बालिग हो गए, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करते समय उन्होंने अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं किया या नहीं करने दिया गया। सन् 1980 में 57 प्रतिशत वोट पड़। सन् 1984 में 64 प्रतिशत वोट पड़े और 1989 में 62 प्रतिशत वोट पड़े। एवरेज वोटिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो 56 प्रतिशत वोट पड़े। यह हमारा वोटिंग पैटर्न है, इण्डिया व्हिच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आफ द वर्ल्ड, उसका वोटिंग पैटर्न यह है कि 100 में 50 से 56 लोग वोट डालने जाते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

महोदय, कई साथियों ने, कई माननीय सदस्यों ने कुछ बातों को कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। मैं आपके सामने केवल एक दो बात कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष को अगर जीवित रहना है और लोकतांत्रिक पद्धति से जीना है, डेमोक्रेटिक कण्ट्री की हैसियत से जीवित रहना है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह सिखाना पड़ेगा कि यह देश तुम्हारा है और यह देश अगर तुम्हारा है तो तुम इस देश के मालिक हो और मालिक होने के नाते तुमको अपना प्रतिनीधि चुनकर भेजना होगा। जब तक हम यह नहीं करेंगे, अपने वोटर को जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तब तक यह काम नहीं होगा। कहा जाता है—इण्टरनल विजिलेन्स इज द प्राइस आफ लिबर्टि। अगर हिन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश है तो विजिलेण्ट रहना होगा उसके नागरिकों को। लेकिन, हमने क्या सिखाया? हमने यह सिखाया कि अंधेरे में डूबे रहो। आधा हिन्दुस्तान अंधेरे में डूबा हुआ रहे, अशिक्षा के अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में और उस अंधेरे में जो भी उसको जाकर कह दे, वो भी पढ़ा दें उसमें वह बहक जाय। इस तरह वह बहक जाता है, पहचानता नहीं है।

महोदय, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और पिछले तीस साल राजनीति से जुड़ी हुई हूं, मैं ग्रास रूट से जुड़ी हुई हूं। मैंने देखा, चुनाव के समय भी मैंने देखा काम करते समय, जब जाती थी, बात करती थी लोगों से, साधारण लोगों से, गांव के लोगों से तो कई लोग कहते थे कि वोट देने से आपके लोग राजा हो जाएंगे, बन जाएंगे एम०एल०ए०, एम०पी०, लेकिन हमको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा हमारे वोटर यह नहीं समझते कि वोट देने का अधिकार उनको इसलिए दिया गया है कि देश की हुकूमत कैसे बने, उसका फैसला वह करेंगे, देश के भाग्य का फैसला वह करेंगे, नीति-निर्धारण का फैसला वह करेंगे। हमने जानबूझकर यह नहीं किया। इसके साथ ही साथ हमने और क्या कुकर्म किया, महोदय? हमने यह भी कुकर्म किया, जैसा कुछ लोगों ने कहा—मसल पावर का। किसने किया यह? हम लोगों ने किया, राजनीति से काम करने वाले, खेल करने वाले लोगों ने किया। जिसके पास अधिक पैसा है, उसने किया। पैसे का दुरुपयोग, मसल-पावर का दुरुपयोग सत्ता में जाने के लिए किया।

महोदय, जो पर्ची हम भरते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिटेन में देते हैं, उसमें बताते हैं 16,000/- रुपए हमने खर्च

किए असेम्बली चुनाव में और 50,000/- रुपए हमने खर्च किए पार्लियामेंट के चुनाव में, जबकि लाखों-लाख रुपया पानी की तरह बहाते हैं । नियत यह है कि एक कंस्टीट्यून्सी में एक गाड़ी जाएगी चुनाव में, लेकिन हम सौ-सौ, दो-दो सौ, पांच-पांच सौ गाड़ी चलाते हैं । गुण्डों क्रिमिनल को हम किराए पर लाते हैं दूसरे को दबाने के लिए, साधारण वोटर को दबाने के लिए। यह काम हम सब जगह करते हैं, चाहे आंध्रप्रदेश चले जाएं, कर्नाटक में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, यह आपको देखने को मिलेगा । यह हालात अगर बदलना है, देश को अगर क्रिमिनलाइजेशन आफ पोलिटिक्स से मुक्त करना है, मनी पावर और मसल पावर से अगर चुनाव को अलग करना है तो यहां बैठे हैं विधि मंत्री जी, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप इसको या तो वोट आउट कर दें या टॉक आउट हो जाएगा, मैं जानती हूं लेकिन भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे जिस आप स्वयं एक इस तरह का विधेयक लाएंगे । एक संविधान संशोधन विधेयक लाएंगे या पीपल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट में संशोधन लाएंगे और लाकर के संशोधन को करेंगे तो हिन्दुस्तान की आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद जरूर देगी। महोदय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। यह जो संशोधन है, इन्होंने जो लाया है कि कम्पलसरी वोटिंग का अधिकार हो लोगों को, यह कर्तव्य में हो, यह दुनिया के बहुत कम देशों में है, लेकिन कुछ देशों में है और जो देश, जिसको कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी, उन देशों का भी अगर आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो जैसे इंग्लैंड का है, वहां 75 से 80 प्रतिशत वोट पड़ते हैं। पश्चिम जर्मनी में 80 प्रतिशत वोट पड़ते हैं। फ्रांस में 83 प्रतिशत वोटिंग हुआ है पिछली बार और प्रजीडेंशियल इलेक्शन में 87 प्रतिशत वोट हुआ है। वहां के लोग जागरूक हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इन सब देशों में 90 प्रतिशत वोट पड़े हैं और हमारे यहां कभी कभी 50 से ऊपर बढ़ता है—50, 52, 56 बस। 45 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। जहां लिबरल डेमोक्रेसी है दुनिया में, वेस्टर्न यूरोप में, वहां हर देश में 90 से 95 प्रतिशत वोट पड़ते हैं और दुनिया के कुछ देश हैं जिसमें वोटिंग इज दि फंडामेंटल राइट और वोटिंग अगर नहीं करे तो उनको सजा भी हो सकती है। इस तरह का देश है आस्ट्रेलिया। मैं एक बार 1988 में आस्ट्रेलिया गई थी, कुछ जगहों पर चुनाव हो रहा था और हमारे जानकार कुछ हिन्दुस्तानी लोगों ने कहा कि हमें वोट देने जाना है। दे वर इन ए हरी। हमने कहा कि नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वे बोले कि हम नागरिक हैं और नागरिक की हैसियत से हमें वोट देना है। अगर नहीं दे सकते, बीमार हैं, हास्पिटल में हैं, कोई बात हो गई तो हमको इत्तिला देनी पड़ती है कि इस कारण से हम वोट नहीं दे सकते और उन देशों में भी 90 से 95 प्रतिशत वोटिंग होता है। आस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, इस तरह के देशों में ऐसा प्रावधान लागू है।

तो, महोदय, आपका और सदन का अधिक समय न लेते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि उचित संशोधन आप लाएं और फर्नांडिस साहब का जो संशोधन विधेयक है, इसकी मंशा बहुत पवित्र है। हिन्दुस्तान की बीमारियों को अगर दूर करना है, पब्लिक लाइफ में जो मेलाएंस आ चुकी है, उसको अगर दूर करना है और फंडामेंटल ड्यटीज के चैप्टर में जिन बातों को कहा गया है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रखेंगे, हम रिलीजियस इक्वेलिटी को मानेंगे, इस तरह की बात अगर आपको करनी है तो फिर इस संशोधन विधेयक को आपको मान लेना चाहिए, नहीं तो स्वयं सरकार इसी सत्र में ऐसा विधेयक लाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Y. Sivaji. Not there. Yes, Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): Hon. Mr. Vice-Chairman, I have been very keenly listening to the debate on this very important Amendment Bill introduced by Shri John F. Fernanades. The Bill seeks to introduce an amendment in article 51A of the Constitution of India to provide another duty, that is, duty to vote. Sir, the point is very important. It is very noble, and there should be no dispute in accepting that. After the freedom struggle the right to vote, which every Indian citizen got, should be exercised by every citizen keeping in view our commitment to democracy. So, I have absolutely no hesitation in saying that I agree with the views of the Mover. I also subscribe to the views expressed by the hon. Members, Mrs. Kamla Sinha, just now.

Mrs. Sinha has pointed out that in several countries there is a mandate and violation of that mandate attracts penalty. I certainly do not think that we can equate ourselves with countries like Australia and Belgium or others. She must have toured those countries. I have also toured all of them. But there is a lot of difference between our way of life and their way of life. In our country the areas are so far flung, and the number of voters in ceratin constituencies is so large—it runs into lakhs—and sometimes it takes the voters a trek for miles and miles to reach a polling booth.

Then, ours is a society which is totally diverse. Sometimes we get complains that certain weaker sections of the society are intimidated and not allowed to exercise their franchise. Then, in such a situation, how can we penalize a voter when he is intimaidated and prevented from exercising his franchise?

There are so many other factors also. But I could see the point—the main point of the Mover—that we must see that every one who is entitled to vote casts his vote. For this purpose, Sir, whether we put it fundamental duties or not, it is a statutory right given to a citizen of India, and we have to see that the citizen is motivated to cast his vote. There should be an atmosphere created in favour of those sections which are deprived of their voting rights so that they can cast their votes.

Earlier on I had brought a Bill by which we had made certain amendments. We had even provided for mobile polling booths. We had taken care of several other factors, but this malady that most of the people belonging to the weaker sections—especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes—find it difficult to cast their votes because of several factors is one of the matters which is still under examination, and we will be dealing with it when we will bring a package of electoral reforms before this hon. House.

Sir, I must express my thanks to the Mover, Mr. Fernandes, Chowdhry Hari Singh, Prof. Saurio Bhattacharya, Shri V. Naranasamy, Shri Ish Dutt Yadav, Shri Surjewala, Shri Ram Ratan Ram, Shrimati Mira Das, Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav, Dr. Naunihal Singh, Shri S. Muthu Mani, Shri Mohammed Afzal, Shri S. K. T. Ramachandran, Shri S. P. Gautam, Shri Syed Sibtey Razi, Shrimati Kamla Sinha and one or two more Members who spoke on this Bill. I have noted down their points. They have mentioned several problems and I will just briefly deal with them.

The major problem is money power. It is a fact that there is a tremendous amount of influence of money in voting and in election results. This is one factor which is very well accepted by all the political parties—I am drawing no distinction between

the political parties. Whether one is from the Congerss (I) or the Janata Dal or any other party, everybody has said so, more or less, in the same terms.

Then comes muscle power. The offshoot of muscle power is booth-capturing. That is also spoken of by all of them.

Then there is the quetsion of over-spending, which is connected with money power. They said that the ceiling on election expenditure is totally irrelevant. People go on and on spending money and ultimately there is no sense in keeping a ceiling on election expenditure. There are other points also, but this Bill does not primarily deal with them. So, the one single point that you want to insert in Article 51A, that is, another duty, like all other duties, "Duty to Vote," if you look into, it does not lead us anywhere. We have put several duties. We find that those remain enshrined in the Constitution. But we still have not developed that temper, that commitment and that feeling of devotion to do that thing, that particular thing which our Constitution enjoins. There is a gross violation every day.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Because there is no penal provision.

SHRI H. R. BHARDWAJ: No, no. I will tell you. Kindly look at Article 51A. I will just tell you that on the Forty-second Amendment we debated at length when I was a young lawyer. To abide by the Constitution and to respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem is the first duty. Even on such a vital thing you find everyday people violating the Constitution I don't want to enter into that controversy because it will create another sort of a wrong atmosphere. But we must look into this. We have so many of them already enshrined in the Fundamental Duties in the Constitution, but we have still not as a nation imbibed those duties and we do not want to perform them.

We are also conscious of our rights. Voting is your right. Why do you want to shift it as a duty? It is your right. You an turn the tables overnight by exercising your vote. That is where I say that rather than putting everything on the statute book, we should create an atmosphere. As I have told Malaviyaji, from several provinces time and again I get complaints that large numbers of people are not allowed to vote. How do you blame those people? They want to vote but not at the risk of their lives. These are the maladies of the reality of this country. Therefore, it is a very noble cause that we must have the duty to vote, but still people are not able to vote. If you just punish them for this, I don't think that it is a practical solution.

What I am suggesting is this. When we all are agreed on one thing that we must make our election pure and free from pollution, hen, all political parties, if we have concern for democracy and concern for our own country, should join hands and heads also to see that these things do not occur. If we decide that, then, I don't think we need to place it in any statute book. I find all the penal provisions in the Representation of the People Act. There is also a penal provision that if you over spend, you will be disqualified. There isa provision that if smoebody intimidates a voter, that is a corrupt practice, but still peiple resort to this. So if we all wish this, as the House has reflected it during the debate, I personally feel then there is nobody to blame. If at all we will do some little introspection, what we say and what we preach, we must practise. That is where we have given to ourselves in this country democracy through political parties. Now see the plight of the political parties today. There is no commitment to ideology. Today we have the ideology of commitment to socialism. Tomorrow we will be right reactionaries. The next day we will be fundamentalists. The third day we will be communalists. Then we say that we have democracy.

personally feel that adherence to certain principles or certain way of life is very basic for success of democracy.

We are talking of Britishers.

SHRIMATI KAMLA SINHA: May I say one thing?

SHRI H. R. BHARDWAJ: Yes, Madam, why not?

SHRIMATI KAMLA SINHA: We know that the Anti-Defection Bill has been passed just to prevent what Mr. Minister has been referring to. But again we have seen how defections are being engineered. So, we are all to be blamed. Political leaders, those who rule the country, those who really matter in the system, we are all to be blamed.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam, I had the privilege to bring in the Anti-Defection Bill. I was the person who piloted it. At that time I wanted a blanket provision in the anti-defection law that once you are elected by a political party, you must remain in a political party. Nobody supported it. They said, "No, merger should be alowed; spilt should be allowed." This was the debate. All political parties were asked whether they wanted to keep any type of split or any type of defection allowed this was also done unanimously in this House. If somebody resorts to defection, I don't think a very healthy thing he is doing in a democracy. Personally I feel if you belong to a political party and you get elected on the symbol of that political party, it is your duty to stay in that political party; and if you want to go out, you must vacate the seat. That is the first thing a Member of Parliament is expected to do. I don't think any defection on any ground is proper in a democracy. Otherwise, nobody will be able to run the Government.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Kindly bring a bill to that effect. (*Interruptions*)

SHRI H. R. BHARDWAJ: This is a matter which can also be debated. There are a lot of loopholes still in the anti-defection law. I am prepared to discuss with all political parties and bring in another Bill if you want. But again these are matters where we have to take by and large an approach acceptable to all political parties. I can assure you that I am ready with comprehensive package on election, including such things as have been mentioned during the debate here. But the question is if you solve one problem today, another one crops up. Now, more important than all this is how we stop mixing up of religion with politics. This is another issue which has cropped up very recently during some years. We will have to combat it. That is where I said if hon. Members and political parties, to which they belong, are all serious, I am prepared to have a debate on it anytime conveninet to them. I am ready with my exercise. I have done a lot of exercise on reforming the election laws and we are ready with it to be debated at any ttme you like. But see the atmosphere today. We are not doing serious things which are confronting the nation and we are wasting our timt on superflous matters. That is where I say that agreeing with the intention of the mover of the Bill, on this one instance particularly we should see that everybody, most of the people, do vote at that time of the election. It is a very. very acceptable and noble idea. But it should give me an opportunity to see how the spirit of this proposal is implemented. If you stop intimidation of the voters, the voting will increase. If you provide facilities to voters, the voting percentage will increase. These are a few other things which are linked with the exercise of the franchise. So, we will discuss all this, including this proposal. We will discuss other proposals because hon. Members whose names I have just submitted have given very important suggestions and I will be failing in my duty if I do not apply my mind properly to these suggestions. I

have noted all of them and I can assure this House that I am ready with it. The Election Commission sent some proposals in February 1992. I have already discussed some of them within my party and with my leader. I am intending to bring them before the political parties for discussion. There all these issues can be discussed threadbare. Once a decision is taken, let us bring finally a comprehensive Bill on elections. After bringing in such a law we should stick to that law. We should not try to find out loopholes there and blame the law and don't blame ourselves. There is absolutely no difficulty with the law, but still we violate it with impunity. Anti-defection law even now is wholesome, but it is we people who violate it. Anti-defection does not say that it is the right of an MP to defect. Who can say that it is my right to defect? But there are people who take advantage of the loopholes and lacunae in the Act and say: "This is why I am defecting. That is why politically I am not agreeing. There is a difference of ideology. There is a difference of thinking. I am not happy with the style of functioning of my party", and so on and so forth. There are various methods by which one can violate the law.

So, Sir, I personally congratulate the mover of the Bill because his efforts are laudable and his sentiments are very noble. I can assure him, through you, that I will keep in mind his suggestions when I present a comprehensive Bill on the electoral reforms. Since it is a Constitutional amendment Bill, it won't serve the purpose for which it was intended. So I would request him to withdraw this Bill. I will keep his suggestion in mind when I bring a package Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. George Fernandes. ..*(Interruptions)*..

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): I think you have said it in a lighter vein.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. John F. Fernandes to reply.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am deeply grateful and my sincere thanks to all the sixteen hon. Members of this House who spoke and supported this Bill cutting across the party lines. The hon. Minister has already mentioned the names of the sixteen hon. Members. I do not want to repeat them again. It is said that a bad Government is elected by the good people who do not vote. I think this is very true for our democracy and that was my intention in bringing forward this Bill. When I moved this Bill, I knew that the hon. Minister would request me to withdraw it because it is a Constitution Amendment Bill. I know that it will be technically difficult for him to accept it. But my main intention was to arouse a debate on this Bill in the country. As you know, Sir, this Bill was initiated and discussed on the 27th November, 1992. Since then three months have passed. This Bill was debated not only in this House but it was debated in the press also. There were articles in the newspapers supporting this Bill. In one of the newspapers my Bill was termed as the Fernandes formula. I do not want to take any credit for this invention. I think it should be the duty of the Government to rise to the occasion and see that it is discussed with all the political parties. Whenever there is an election, it is a common thing that we make a promise to amend the electoral laws and plug its loopholes. It becomes an election manifesto. Every political party makes a promise but they do not fulfil it. When a political party comes to power, they know that it would be difficult for them to come back to power again without resorting to illegal means for winning the elections. I am not abusing or finding fault with any political party. I am merely accusing the system in our country.

Sir, my colleague, Mr. Ramachandran, said that this Bill should be written in golden letters. I do not subscribe to that. I wish to say again that the credit should go to the Government. I am happy that not only sixteen Members but even the hon. Minister supported the motive of my Bill. I am confident the hon. Minister is serious and sincere and he will come forward with a comprehensive Bill to plug all the loopholes. My Bill was only an ordinary Bill. It was only an obligatory Bill. I did not want to insert a Fundamental Right in the Constitution. Article 51A was inserted through the Forty-second Constitutional Amendment Bill in 1976. Therefore, I also thought that I should arouse the conscience of the nation to see that they rise to the occasion.

Sir, in our country sixty per cent of the population live below the poverty line. Unless we give some incentives to the voters, to these people to participate in the democratic elections, I do not think it will suffice merely to amend the Constitution, to put do's and don'ts in the Constitution. Therefore, I feel that our election process should undergo a metamorphosis, should evolve more changes. We have to voluntarily bring in the people, educate the voters, educate the poor masses. When our people sell their children to get a square meal a day, I do not know why they should not sell their votes. So unless we see the root cause of corruption and how we can avoid this lacuna in the Statute, it will not be easy for us to implement this amendment. So the hon. Minister has rightly mentioned that the Government will give a thought to my Bill and will consider it at the time of bringing a comprehensive legislation. This is a promise made by every Government for years together. I think our Government will be very sincere and before long, they will come up with some legislation to see that all the loopholes in the Constitution and in the statute are plugged.

I do not think that I am asked by the hon. Minister to withdraw the Bill on moral grounds because the Government itself is supporting it. I think it is basically on technical grounds, because it is a Constitutional amendment, that he is asking me to withdraw it. All through, since our democracy came into existence in 1947, we have see that no political party got 50 per cent plus one vote. We say that democracy is a government of majority. I am afraid we may come to a stage one day when our democracy will be the government of minority. There is nothing in the Constitution to say that when there is going to be a minority government, it should not be installed. We have the example of the last three years when we have had a hung Parliament. But still, Governments were there and they were ruling. So we should create a mechanism to see that when there is no majority, there should be provisions for a proportionately representative Government, a National Government. That should be truly a people's Government. If we call it a democracy, it should be a majority Government. Basically, it should be a majority Government. We should not use the arithmetics to divide the Opposition votes and come to power. I do not think that will fulfil the purpose of democracy. I do not think that is what our Constitution-framers had in mind. So it is high time we rose to the occasion and made a provision for this. We have Article 368 of the Constitution. As our hon. colleague Mr. Ramachandran has mentioned, our Constitution, though a written one, is not a rigid one. It is a very flexible Constitution. The very fact that the Constitution has been amended dozens of times till now proves that the founding fathers of the Constitution had a vision that the Constitution would have to change according to the times and according to the wishes and whims of the people.

I am again very grateful to all the 16 hon Members who have already been mentioned by the hon. Minister. Mr. Vice-Chairman, Sir, I think

you were one of the speakers and I presume that even the Chair supports my Bill. I am hopeful and confident that the hon. Minister will come back with a comprehensive legislation before the next election and that his promise will not be kept as an election promise but will be fulfilled.

With these words, I would like to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE ELECTROPATHY SYSTEM OF MEDICINE (RECOGNITION) BILL. 1991.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रोपथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित मामलों के लिए जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक, 1991 है इस पर विचार किया जाए।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इसी विधेयक की धारा 2घ में यह भी कहा गया है कि "इलेक्ट्रोपैथी" प्रणाली से इलेक्ट्रोपैथी या इलेट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है।

मान्यवर, बहुत दिनों से इस देश के नागरिक, बहुत से चिकित्सिक और सांसद तथा विधेयक इस बात की मांग को सरकार से करते चले आए हैं कि इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाए।

मान्यवर, इस देश में चार प्रकार की चिकित्सा पद्धत्तियां हैं, ऐलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी। ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति विदेश से आई थी और यूनानी तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियां हमारे देश की हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धत्ति भी विदेश से आई थी पहले यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धत्ति को भी सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की गयी थी और अंतिम बार 1953 में जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धत्ति थी इसको केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता दी गयी थी। हमारे देश में जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है और ऐसा अनुमान है कि सन् 2000 में हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ या एक अरब हो जाएगी और विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में जनसंख्या के मामले में हमारा देश दूसरे नम्बर पर है। लेकिन हमारे देश में गरीबी बहुत है। आधे से ज्यादा जनसंख्या इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। गरीबी के कारण लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। यहां पर दवाएं और उपचार की व्यवस्था बहुत महंगी है इसलिए कभी कभी गरीब आदमी बगैर उपचार या दवा के भी मौत का शिकार हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश के लिए सस्ती चिकित्सा पद्धति हो। उसको न केवल सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाए बल्कि केन्द्रीय सरकार की ओर से मान्यता भी प्रदान की जाए। मैं यहां केवल एक ही आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसी राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2847, दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 जिसको माननीय सदस्य डा. एन. तुलसी रेड्डी ने पूछा था कि इस देश में दृष्टिहीनों की जनसंख्या कितनी है सरकार का जवाब यह था कि आंकड़ों के हिसाब से

There are twelve million blind persons in this country

एक करोड़ 20 लाख लोग यहां ऐसे थे। यह 1991 का आंकड़ा है। ऐसे लोगों की संख्या इस देश में एक करोड़ 20 लाख है, इसका सीधा-सीधा कारण यह है कि लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। जितने विटामिंस की आवश्यकता है वह नहीं मिलते हैं। इसलिए लोग अधिक से अधिक संख्या में बीमार पड़ते हैं और उसके बाद उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं रहती है। दवा की कमी होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मान्यवर, इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए वर्षों से मांग चली आ रही है। मेरे पास एक पुस्तक है।